

20 ⁰⁶/₂₃ आज श्रीमान ए सी एम / एस डी एम साहब ~~31/5/24~~ के कारा पर हैं । पेशी इलाका की जाकर पत्रावली नारीख 22/08/23 को पेश हो ।

22 ⁰⁸/₂₃ आज श्रीमान ए सी एम / एस डी एम साहब ~~31/5/24~~ के कारा पर हैं । पेशी इलाका की जाकर पत्रावली नारीख 27/08/23 को पेश हो ।

27 ⁰⁹/₂₃ आज श्रीमान ए सी एम / एस डी एम साहब ~~31/5/24~~ के कारा पर हैं । पेशी इलाका की जाकर पत्रावली नारीख 29/08/23 को पेश हो ।

29 ¹¹/₂₃ आज श्रीमान ए सी एम / एस डी एम साहब ~~31/5/24~~ के कारा पर हैं । पेशी इलाका की जाकर पत्रावली नारीख 29/08/24 को पेश हो ।

29 ⁰¹/₂₄ आज श्रीमान ए सी एम / एस डी एम साहब ~~31/5/24~~ के कारा पर हैं । पेशी इलाका की जाकर पत्रावली नारीख 01/08/24 को पेश हो ।

01 ⁰⁴/₂₀₂₄ आज श्रीमान ए सी एम / एस डी एम साहब ~~31/5/24~~ के कारा पर हैं । पेशी इलाका की जाकर पत्रावली नारीख 31/05/24 को पेश हो ।

31/5/24 आज श्रीमान ए सी एम / एस डी एम साहब ~~31/5/24~~ के कारा पर हैं । पेशी इलाका की जाकर पत्रावली नारीख 29/7/24 को पेश हो ।

29/11/24 आज श्रीमान ए सी एम / एस डी एम साहब ~~31/5/24~~ के कारा पर हैं । पेशी इलाका की जाकर पत्रावली नारीख 04/10/24 को पेश हो ।

15/10/24 पत्रावली आज पेश हुई वकील जर्फीण उपस्थित । वकील जर्फीण के बयान सुनी जायी । वकील जर्फीण की वरफ एवं पत्रावली में उल्लेखित इस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाता के तीनों बिन्दु जर्फीण के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः जर्फीण का जर्फीण पर स्थगित किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 16.12.2022 को अस्थायी निषेधाता को मूल वाद के निस्ताण तक कन्फर्म किया जाता है । पत्रावली फैसल क्रमांक होकर इस नम्बर से कम होकर वाद तकमील शामिल उपरत ही। निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सारे जजताख सुनाया गया। सफ़ कलेक्टर (लोदी)

